न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा(राज0)

बइजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S.

मिसल नंबर 534 / 14 निर्णय दिनांक 26/9/17

बउनवान

रामकिशन उम्र 61 वर्ष आत्मज बिरधीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम खड़ीपुर हाल निवासी इन्द्रागाँधी नगर कोटा।

—वादी—

बनाम

1.रामेश्वर आत्मज बिरधीलाल जाति ब्राम्हण

2.रामरतन आत्मज बिरधीलाल जाति ब्राम्हण

निवासीगण खड़ीपुर तहसील सांगोद जिला कोटा।

3.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता।

प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री दशरथ सिंह जी।

अन्तर्गत धारा 88,89,53,54 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा ,88,89,53,54 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खड़ीपुर तहसील सांगोद में खाता संख्या नई 120 पुरानी 37 खसरा नम्बर 503 की 0.17 है0, खसरा नम्बर 504 की 0.13 है0, खसरा नम्बर 507 की 0.30 है0, खसरा नम्बर 508 की 0.13 है0, खसरा नम्बर 689 की 0.19 है0, खसरा नम्बर 712 की 0.62 है0 इस प्रकार कुल 6 किता की कुल 1.54 है0 कृषि भूमि स्थित है। खाता संख्या नई 106 पुरानी 109 खसरा नम्बर 570 की 0.15 है0, खसरा नम्बर 571 की 0.27 है0, खसरा नम्बर 572 की 0.01 है0, खसरा नम्बर 573 की 0.27 है0, खसरा नम्बर 574 की 0.44 है0, खसरा नम्बर 576 की 0.23 है0 इस प्रकार कुल 6 किता की कुल 1.37 है0 कृषि भूमि स्थित है। खाता संख्या नई 105 पुरानी 102 खसरा नम्बर 112 की 2.84 है0,खसरा नम्बर 115 की 0.12 है0,खसरा नम्बर 692 की 0.01 है0, खसरा नम्बर 693 की 1.12 है0, इस प्रकार कुल 4 किता की कुल 4.09 है0 कृषि भूमि स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी 01 लगायत 02 की सभी बहिनें क्रमशः विद्याबाई, नट्टीबाई, चतरीबाई, रामप्यारी द्वारा अपने हक की सम्पर्ण आराजी तीनों खातों की दिनांक 17.01.08 को रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख से वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 02 सम्पूर्ण आराजी के शामलाती रूप से प्रत्येक 1/3 हिस्से के मालिक हो गये है, तथा अब वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 शामलाती रूप से बांट बराबर से मालिक एवं खातेदार कृषक हो गये है, परन्तु राजस्व रेकॉर्ड में उक्त हक त्याग विलेख का अमल नहीं होने से वादी उक्त वर्णित आराजी में अपना 1/3 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 02 उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी को शामलाती रूप से काश्त कर रहे है, परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच लगान अदायगी एवं फसल बंटवारे को लेकर आपस में विवाद होता रहता है, जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया है, कि उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आराजी में अपना 1/3 हिस्सा घोषित करवाकर 1/3 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी में पृथक करवाकर पृथक से लगान निर्धारित करवाकर पृथक से कब्जा प्राप्त करें, जिसके लिए यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वाद कारण वादी द्वारा प्रतिवादीगण से हक त्याग विलेख का अमल करवाकर अपना अपना 1/3 हिस्सा पृथक करवाकर पृथक से लगान निर्धारित करवाने की कहने पर तैयार नहीं होने से अंतिम मर्तबा दिनांक 15.2.2010 को कहने पर भी तैयार नहीं होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

वदी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वाद पत्र की मद नमबर 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी मे वादी का 1/3 हिस्सा घोषित किया जा कर वादी की बहनों का नाम खाते से पृथक किये जाने के ओदेशपाारित करें।एवं वाद पत्र कीमद नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण तीनों खातों की आराजी मेंवादी का 1/3 हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी मेंसे बुरी आराजी का पृथक किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में पृथक से इन्द्राज किया जावे एवं पृथक लगान निर्धारित कर वादी को प्राप्त सम्पूर्ण आराजी पर पृथक ससे वादी का कब्जा भी करवाया जाने का आदेश फरमाया जावें। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण को जारी की गयी।

वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 व 02 द्वारा मय अधिवक्ता दिनांक 19.09.2019 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खड़ी पुर तहसील कनवा की आराजी खसरा नम्बर 1.12 है0 पश्चिम दिशा खसरा नमबर 692 की रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 693 की रकबा 1.12 है0 कुल खसरा किता 3 की रकबा 2.25 है0 वादी रामकिशन के किस्से में रहेगी। इसी प्रकार ग्राम खड़ीपुर के खसरा नम्बर 1.72 है0 पूर्व दिशा खसरा नम्बर 115 की रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 503 की रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 504 की 0.13 है0, खसरानम्बर 507 की 0.30 है0, खसरा नम्बर 508 की 0.13 है0, कुल खसरा किता 6 की 2.57 है0 भूमि प्रतिवादी 01 के रामेश्वर के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 570 की 0.15 है0 खसरा नम्बर 571 की 0.27 है0 खसरा 572 की 0.01 है0 खसरा नम्बर 573 की 0.27 है0 खसरा नम्बर 574 की 0.44 है0 खसरा नम्बर 576 की 0.23 है0 खसरा नमबर 689 की 0.19 है0 खसरा नम्बर 712 की 0.62 है0 कुल खसरा किता 8 की रकबा 2.18 है0 भूमि प्रतिवादी 02 रामरतन के हिस्से में रहेगी। वादी की पहचान वादी के अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता तथा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह द्वारा की गयी। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा वादी व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा सुना एवं प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रस्तुत की। राजीनामा वाद शामिल पत्रावली किया गया।

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों संलग्न दस्तावेज एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि वादी रामकिशन तथा प्रतिवादी क्रम 01 रामेश्वर व प्रतिवादी क्रम 02 रामरतन द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.09.2019 के आधार पर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

<u>आदेश</u>

अतः दावा वादी रामकिशन तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रामेश्वर व प्रतिवादी नम्बर 02 रामरतन द्वारा दिनांक 19.09.2019 को प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि वादी रामकिशन, प्रतिवादी नम्बर 01 रामेश्वर, प्रतिवादी नम्बर 02 रामरतन को ग्राम खड़ीपुर तहसील कनवास की निम्न आराजी अनुसार पृथक–पृथक खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	विशेष विवरण
1	रामकिशन पुत्र बिरधीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खड़ीपुर	112	1.12 है0 पश्चिम दिशा	
		692	0.01 है0	
		693	1.12 है0	
	कुल खसरा किता 3 की कुल रकबा 2.25 हैक्टयर			
2	प्रतिवादी नम्बर 01 रामेश्वर पुत्र बिरधीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खड़ीपुर	112	1.72 है0 पूर्व दिशा	
		115	0.12 है0	
		503	0.17 है0	
		504	0.13 है0	
		507	0.30 है0	
		508	0.13 है0	
	कुल 6 किता की कुल रकबा 2.57 हैक्टयर			
3	प्रतिवादी नम्बर 02 रामरतन पुत्र बिरधीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खड़ीपुर	570	0.15 है0	
		571	0.27 है0	
		572	0.01 है0	
		573	0.27	
		574	0.44	
		576	0.23 है	
		689	0.19	
		712	0.62	
	कुल 8 किता की कुल रकबा 2.18 हैक्टयर			

उपरोक्त सारणीनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 व 02 के खाते पृथक–पृथक किया जावे राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

रामकिशन उम्र 61 वर्ष आत्मज बिरधीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम खड़ीपुर हाल निवासी इन्द्रागाँधी नगर कोटा।

–वादी–

बनाम

1.रामेश्वर आत्मज बिरधीलाल जाति ब्राम्हण

2.रामरतन आत्मज बिरधीलाल जाति ब्राम्हण

निवासीगण खड़ीपुर तहसील सांगोद जिला कोटा।

3.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,54 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **534/14** सन **2019** तारीख फैसला **26.09.2019** **न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 व 02 की ओर से एडवोकेट श्री दशरथ सिंह स्वयं व प्रतिवादी 03 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है दावा वादी रामकिशन तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रामेश्वर व प्रतिवादी नम्बर 02 रामरतन द्वारा दिनांक 19.09.2019 को प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि वादी रामकिशन, प्रतिवादी नम्बर 01 रामेश्वर, प्रतिवादी नम्बर 02 रामरतन को ग्राम खड़ीपुर तहसील कनवास की निम्न आराजी का पृथक–पृथक खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	विशेष विवरण
1	रामकिशन पुत्र बिरधीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खड़ीपुर	112	1.12 है0 पश्चिम दिशा	
		692	0.01 है0	
		693	1.12 है0	
	कुल खसरा किता 3 की कुल रकबा 2.25 हैक्टयर			
2	प्रतिवादी नम्बर 01 रामेश्वर पुत्र बिरधीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खड़ीपुर	112	1.72 है0 पूर्व दिशा	
		115	0.12 है0	
		503	0.17 है0	
		504	0.13 है0	
		507	0.30 है0	
		508	0.13 है0	
	कुल खसरा 6 किता की कुल रकबा 2.57 हैक्टयर			
3	प्रतिवादी नम्बर 02 रामरतन पुत्र बिरधीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खड़ीपुर	570	0.15 है0	
		571	0.27 है0	
		572	0.01 है0	
		573	0.27 है0	
		574	0.44 है0	
		576	0.23 है0	
		689	0.19 है0	
		712	0.62 है0	
	कुल 8 किता की कुल रकबा 2.18 हैक्टयर			

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

उपरोक्त सारणीनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 व 02 के खाते पृथक–पृथक किया जावे राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। **तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ... मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **26.09.2019** माह **सितम्बर 2019** को जारी की गई।

मोहर ....

पुष्पा हरवानी (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	''''	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	''''	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा	''''			स्टाम्प अर्जी	''''		
स्टाम्प वजह सबूत	''''			महनताना वकील	''''		
महनताना वकील	''''			खर्चा गवाहान	''''		
खर्चा गवाहान	''''			फीस कमिश्नर	''''		
फीस कमिश्नर	''''			बाबत इजराय हुकमनामा	''''		
बाबत इजराय हुकमनामा	''''			मुतफर्रिक	''''		
मुतफर्रिक	''''			मीजान	''''		
मीजान	''''						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

पुष्पा हरवानी (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास